


31/7/24

पत्रावली बेशुद्धी न्यायालय
समय में बार-बार आवेदन
लाजवारी गरी पाठ्य शक्ति
व उनके अभाव में कोई
उपाय नहीं हुआ। लिहाजा
पुत्र एवं अक्षय पैली/अक्षय
हाजरी में खाली जगह
पाना हो। पत्रावली फौज
शुद्ध हो कर तब तक रहे
हो। निर्णय खुले
न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

[Faint, mostly illegible text and stamps at the bottom of the page, possibly containing dates and administrative notes.]